

श्री उग्रतारा भारती मण्डन संस्कृत महाविद्यालय , महिषी , सहरसा

स्थापित – 1970

(कामेश्वरसिंह दरभङ्गा संस्कृत विश्वविद्यालय , कामेश्वरनगर दरभङ्गा की अङ्गीभूत इकाई)



Prospectus

विवरणिका

प्रधानसम्पादक – प्रो० शक्तिनाथ झा (प्रधानाचार्य)

सहकसम्पादक – श्री रूपेश कुमार झा (सहायक प्राचार्य , व्याकरण)

श्री उग्रतारा भारती मण्डन संस्कृत महाविद्यालय , महिषी , सहरसा

वक्तव्य

प्रधानाचार्य

ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में मनुष्य सबसे प्रमुख है । इसका एक मात्र कारण शिक्षा है । शिक्षा के बिना मनुष्य में मनुष्यत्व की कल्पना नहीं की जा सकती । हमारे शास्त्रों में " सा विद्या या विमुक्तये " " नास्ति विद्या समं चक्षुः " इत्यादि प्रसिद्ध आदर्श वाक्य भी हमें विद्या प्राप्ति की दिशा में उन्मुख होने की प्रेरणा देते हैं ।

वर्तमान समय में संस्कृत शिक्षा के प्रति छात्रों की विमुखता ने हम सभी संस्कृतानुरागियों को पुनः संस्कृत शिक्षा को समाज में पुनःस्थापित करने के लिए अहर्निश चिन्तन करने पर विवश कर दिया है ।

आजीवन मैं संस्कृत शिक्षा के प्रचार - प्रसार एवं संरक्षण हेतु प्रयत्नशील रहा हूँ और आगे भी मैं भारती से यही कामना है कि यह प्रयास अन्तिम सांस तक करता रहूँ । छात्रों के लिए सभी प्रकार की आवश्यक सामग्रियाँ उपलब्ध कराना प्रधानाचार्य का दायित्व होता है । अतः इसके लिए मैं कृतसंकल्पित हूँ कि महाविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार सुदृढ किया जा सके ।

प्रो० शक्तिनाथ झा

प्रधानाचार्य

श्री उ. भा. म. सं. म. , महिषी , सहरसा

महाविद्यालय की विवरणिका

Prospectus of College

(क) परिचय

श्री उग्रतारा भारती मण्डन संस्कृत महाविद्यालय कामेश्वरसिंह दरभङ्गा संस्कृत विश्वविद्यालय की अङ्गीभूत इकाई है। यह महाविद्यालय बिहार प्रान्त के सहरसा जिलान्तर्गत माहिष्मती (महिषी) में अवस्थित है। इसकी स्थापना 19 मई 1970 को भारती मण्डन स्मृति समिति द्वारा आयोजित भारती मण्डन स्मृति महासमारोह में विहार विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ० लक्ष्मीनारायण सुधांशु की अध्यक्षता में हुई थी।

यह महाविद्यालय न केवल अध्ययन अध्यापन का उत्कृष्टतम केन्द्र रहा है अपितु इसके नामकरण का इतिहास अत्यन्त ही गौरवमय एवं विश्वविश्रुत है। जगज्जननी माँ भगवती उग्रतारा के विषय में मान्यता है कि माँ उग्रतारा समस्त भौतिक एवं दैविक आपदाओं का शीघ्र शमन कर सुख समृद्धि प्रदान करने वाली है। मिथिला में उग्रतारा शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध एकमात्र यह स्थान महाविद्यालय के समीप में स्थित है, जिससे महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से सुदूर क्षेत्र से आने वाले लोग अनायास ही परिचित हो जाते हैं। अब भारती मण्डन के विषय में विवेचन करते हुए यह बताना आवश्यक हो जाता है कि मीमांसा दर्शन के लब्धप्रतिष्ठ एवं अद्वैतवेदान्त के निष्णात आचार्य मण्डन इसी भूमि पर जन्म लेकर और इसे ही अपने कर्म क्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठित कर विश्वभर में इसकी प्रतिष्ठा को अमर कर दिया। मण्डन मिश्र की पत्नी विदुषी भारती के विषय में यह जानना आवश्यक प्रतीत होता है कि संस्कृतवाङ्मयगत जितनी भी नारियों ने अपनी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठापित की उन सबों में इनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। भारती और मण्डन की सत्कीर्तियों ने न केवल इस गाँव की बल्कि सम्पूर्ण मिथिलांचल की विश्व भर में युग – युगान्त पर्यन्त प्रतिष्ठा स्थापित कर दिया। ऐसे महानतम मीमांसक और उनकी धर्मपत्नी के नाम से सङ्कीर्तित यह महाविद्यालय किसी विशेष परिचय की अपेक्षा नहीं रखता।

आचार्य मण्डन की अमर कृतियों में - 1. विधिविवेक 2. भावनाविवेक 3. विभ्रमविवेक 4. मीमांसानुक्रमणिका 5. स्फोटसिद्धि एवं 6. ब्रह्मसिद्धि विद्वत समाज में समादृत है। यहाँ संस्कृत विद्या के प्रचार – प्रसार एवं संरक्षण के लिए श्री मिश्र जैसे महापुरुष से लेकर अद्यावधि विभिन्न आचार्यों ने अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। स्थापना काल से

आजतक अनेक छात्रों ने इस महाविद्यालय में अध्ययन कर विभिन्न सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाओं में सेवा प्रदान करने का काम किया है। देव भाषा के इस सङ्गमण काल में भी यह महाविद्यालय संस्कृति और सभ्यता से ओतप्रोत संस्कार की ज्योति जगाने में सर्वदा प्रयासरत है। अतएव विभिन्न कारणों से इस संस्था की प्रतिष्ठा दिनानुदिन शुक्लपक्षीय चन्द्रमा की भाँति वृद्धि पथ पर अग्रसर है।

(ख) ध्येय (Mission)

1. संस्कृत भाषा में संप्रेषण हेतु अधिकाधिक अवसर प्रदान करना।
2. देवभाषा के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की रक्षा करना।
3. शास्त्रों के सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
4. संस्कृत के उत्कृष्ट विशेषज्ञ विद्वानों को तैयार करना।
5. इन भाषाओं के प्रसिद्ध प्राचीन और नवीन ग्रन्थों की कम्प्यूटराइज्ड सूची का निर्माण करना।
6. इन भाषाओं के प्रसिद्ध प्राचीन और नवीन ग्रन्थों को पारम्परिक पुस्तक के रूप में और e-book के रूप में प्रकाशित करना।
7. प्रसिद्ध विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत सस्वर वेदपाठ और विशिष्टव्याख्याओं को Audio\Video के रूप में संगृहीत करना और उन्हें महाविद्यालय के Website के माध्यम से जिज्ञासुओं तक सम्प्रेषित करना।
8. संस्कृत में उपलब्ध ज्ञान-विज्ञान से सम्बन्धित सामग्री का संकलन करना और उन सामग्रियों का आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की दृष्टि से विश्लेषण करना और वर्तमान युग के रूप में उन्हें प्रस्तुत करना।
9. संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्रों एवं छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना और उन्हें आज की अपेक्षा के अनुसार सरकारी या गैर-सरकारी सेवा में अवसर प्राप्त करने हेतुसुयोग्यबनाना।
10. वेद, वेदांग, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, पुराण, काव्य, महाकाव्य आदिग्रन्थों में जनसामान्य के लिए उपलब्ध ज्ञान-विज्ञान, अध्यात्म, कथा आदि से सम्बन्धित ज्ञान - विज्ञान से सामान्य मानविकी को परिचित कराना।

11. देश और विदेश में स्थित संस्कृत की संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर परस्पर शिक्षकों तथा छात्रों के बीच संवाद स्थापित कर शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त नवीन उपलब्धि का आदान-प्रदान करना ।

(ग) दृष्टि (Vision)

1. छात्रों की मूलभूत आवश्यकताओं को पठन पाठन के केन्द्र में रखना ।
2. छात्रों को संस्कृत ज्ञान के साथ – साथ अद्यतन ज्ञान एवं सूचना के विभिन्न यांत्रिक संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना ।
3. छात्रों के सर्वाङ्गीण विकास हेतु विभिन्न प्रकार के शैक्षिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने हेतु अवसर उपलब्ध कराना ।
4. संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं का समय – समय पर आयोजन कर छात्रों के विभिन्न प्रकार के कौशलों का संवर्द्धन करना ।
5. सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जीवन के विभिन्न मूल्यों से परिचित कराना ।

राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग

Department of NSS

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना पूर्णतः क्रियाशील है, जिसके समन्वयक श्री उपेन्द्र कुमार चौधरी , सामान्य संस्कृत हैं । यह विभाग पूर्णतः गतिशील है तथा इसके स्वयं सेवक अपने पदाधिकारियों के नेतृत्व में स्वच्छता, शराबबंदी, दहेज उन्मूलन, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण, नागरिक शिक्षा, सामाजिक सद्भाव, मानवाधिकार की सुरक्षा, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, कैशलेस व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण, खुले शौच से मुक्ति, एड्स नियंत्रण एवं रक्तदान आदि के लिए जनजागरण अभियान चलाते रहे हैं ।

क्रीड़ा निदेशालय

Directorate of Sports

महाविद्यालय के अन्तर्गत क्रीड़ा विभाग स्थापित है जो श्री रूपेश कुमार झा के अधीन संचालित है । महाविद्यालय में विगत वर्षों में इस विभाग के द्वारा कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स आदि क्रीड़ाविधाओं का आयोजन किया जाता रहा है । राजभवन के निर्देशानुसार आयोजित एकलव्य एवं तरंग प्रतियोगिताओं में इस महाविद्यालय के छात्र भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त करते रहे हैं । महाविद्यालय में इस विभाग के द्वारा समय-समय पर विभिन्न क्रीड़ाओं का आयोजन किया जाता है ।

संगणक केन्द्र Computer Centre

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वित्तीय सहायता से महाविद्यालय में कम्प्यूटर सेन्टर की स्थापना की गयी है । महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों, पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ सामान्य नागरिकों के लिए भी कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा । यह कार्यक्रम स्ववित्तपोषित होगा, लेकिन इस महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है ।

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नयी दिल्ली द्वारा INFLIBNET प्रोग्राम के अन्तर्गत कम्प्यूटर एवं अन्य अपेक्षित उपकरण खरीदे गये हैं । महाविद्यालय का अपना website भी है जिसका पता- www.ubmscollege.com है । इस Website पर महाविद्यालय की अनेक आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है । website को सूचना का और सशक्त माध्यम बनाने के लिए महाविद्यालय प्रयासरत है ।

पुस्तकालय Library

महाविद्यालय में एक लघु पुस्तकालय स्थापित है जिसमें विषय गत एवं भारतीय एवं सभ्यता से जुड़ी हजारों बहुमूल्य पुस्तकें उपलब्ध हैं । जिसे शिक्षक / छात्र एवं शिक्षकेतर कर्मचारी महाविद्यालय

कार्यदिवस में प्राप्त कर सकते हैं या अध्ययन कर सकते हैं । पुस्तकालय से संबन्धित सभी प्रकार के दायित्वों के निर्वहण की जिम्मेदारी श्री इन्दुदत्त झा (पुस्तकालय प्रभारी) के अधीन है ।

छात्रावास

Hostel

महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से एक मात्र महिला छात्रावास की व्यवस्था की गई है , जिसमें 20 छात्राओं के रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है । छात्रावास में रहने हेतु नामांकन के उपरान्त छात्रावास अधीक्षक के समक्ष आवेदन देकर मेधाक्रम के आधार पर छात्रावास आवंटन किया जाता है । इससे संबन्धित विस्तृत जानकारी छात्रावास अधीक्षक से प्राप्त की जा सकती है ।

महाविद्यालय स्तर पर दी जाने वाली प्रमुख शिक्षा जो इस विश्वविद्यालय के अनुकूल हो -

महाविद्यालय स्तर पर दी जाने वाली प्रमुख शिक्षा के लिए व्याकरण , साहित्य , वेद , ज्यौतिष , दर्शन आदि का विशिष्ट अध्ययन, एवं पाठ्यक्रमगत ऐच्छिक व आधुनिक विषय प्रमुख विषय हैं । इन सभी विषयों का महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण विश्वविद्यालय के लिए अनुकूल होगा । इन विषयों का विशेष रूप से अध्यापन करने का हमारा संकल्प भी है ।

2019-20 में नामांकन आदि की महत्वपूर्ण तिथियाँ

सत्र- 2019-2020

Important Dates for Admission etc.

क्रम सं०	परीक्षानाम	सत्र	नामांकन तिथि	वर्गारम्भ तिथि	पंजीयन – अनुमति - परीक्षावेदनतिथि			परीक्षा प्रारंभ तिथि	परीक्षाफल प्रकाशन तिथि
					निर्दण्ड	सदण्ड	विशेषदण्ड		
1	उपशास्त्री	2019-21	02.07.19-31.07.19	16.07.19	12.02.20-25.02.20	26.02.20-23.02.20	03.03.20-07.03.20	15.05.20-21.05.20	20.06.20
		2017-19	-----	-----	12.02.19-25.02.19	26.02.19-02.03.19	03.03.19-07.03.20	15.05.19-21.05.19	20.06.19
		2018-20	-----	-----	12.02.20-25.02.20	26.02.20-02.03.20	03.03.20-07.03.20	15.05.20-21.05.20	20.06.20
2	शास्त्री प्रथम वर्ष (पुराना)	2018-21	-----	-----	05.04.19-10.04.19	11.04.19-13.04.19	14.04.19-15.04.19	15.05.19-21.05.19	20.06.19
	शास्त्री द्वितीय वर्ष	2017-20	-----	-----	05.04.19-10.04.19	11.04.19-13.04.19	14.04.19-15.04.19	15.05.19-21.05.19	20.06.19
	शास्त्री तृतीय वर्ष	2016-19	-----	-----	05.04.18-10.04.19	11.04.18-13.04.19	14.04.19-15.04.19	15.05.19-21.05.19	20.06.19

विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों/संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम

Rules of Admission for the Courses offered by University Teaching Departments/Centres/ Institutes

विश्वविद्यालय निम्नलिखित परीक्षाओं के पाठ्यक्रम की अध्यापन व्यवस्था करता है।

पाठ्यक्रमों के नाम	आयु	समकक्षता
द्विवर्षीय अन्तरस्नातक पाठ्यक्रम		
1. उपशास्त्री	15 वर्ष	उच्चमाध्यमिक/इण्टरमीडिएट
त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम		
2. शास्त्री	17 वर्ष	बी.ए .

--	--	--

आरक्षण व्यवस्था

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (अद्यतन संशोधित) धारा 61 (3) के अन्तर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार छात्रों के नामांकन में आरक्षण का लाभ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त दिव्यांगों के लिए भी अपनी-अपनी कोटि में 3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है।

प्रवेश एवं परीक्षा नियम

उपशास्त्रीमें प्रवेशार्थ नियम –

विश्वविद्यालय द्वारा गृहीतद्विवर्षीय उपशास्त्री की समकक्षता सामान्य शिक्षा केद्विवर्षीय इण्टरमीडिएट के समकक्ष होगी।

उपशास्त्री(इण्टर समकक्ष) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के सामान्य नियम

- (क) राज्य सरकार/केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्कृत विश्वविद्यालय/ संस्थान/बोर्ड समिति से मध्यमा/मैट्रिक (दशवीं) या तत्समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण छात्र इस विश्वविद्यालय के अधीन किसी अंगीभूत सम्बद्ध उपशास्त्री(इण्टरस्तरीय) संस्कृत महाविद्यालय के उपशास्त्रीप्रथमवर्ष में नामांकन कराकर नियमित छात्र के रूप में दूसरे वर्ष उपशास्त्री की विश्वविद्यालयीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।
- (ख) उपर्युक्त 'क' अंश में अंकित संस्थाओं से मध्यमा/मैट्रिक या तत्समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण छात्र परीक्षोत्तीर्णता के एक वर्ष के अंतराल के पश्चात् किसी मान्यता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय की प्रथम वर्ष की परीक्षा में तथा अगले वर्ष उपशास्त्री की विश्वविद्यालयीय परीक्षा में स्वतंत्र छात्र के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। किंतु महिला छात्राओं के लिए एक वर्ष के अंतराल की बाध्यता नहीं होगी।

इस पाठ्यक्रम के विषय,पत्र एवंपरीक्षोत्तीर्णता -

यह पाठ्यक्रम दोवर्षों का होगा, जिसमें समान्यतः पाँच पत्र होंगे, किंतु कोई भी छात्र ऐच्छिक विषय के रूप में अतिरिक्त विषय का चयन भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में उपशास्त्री परीक्षा में कुल छः पत्र होंगे। ऐच्छिक विषय के प्राप्तांक का अंकन लब्धांक पत्र में किया जायेगा। किंतु पाँच पत्र के अंको के आधार पर ही श्रेणी का निर्धारण होगा।

- (1) उपशास्त्रीप्रथमवर्ष परीक्षा सम्बद्ध महाविद्यालय के द्वारा ली जाएगी तथा इसका अंकपत्र सम्बद्ध महाविद्यालय के द्वारा निर्गत किया जायेगा, जिसकी प्रति द्वितीय वर्ष की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा ली जाएगी, प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।
- (2) उत्तीर्णता एवं श्रेणी

उपशास्त्री परीक्षा में प्रति पत्र के पूर्णांक 100 अंको में न्यूनतम 33 अंक उत्तीर्ण के लिए अनिवार्य होंगे। श्रेणी निर्धारण का आधार निम्नलिखित रहेगा -

- (क) प्रथम श्रेणी - कुल अंको का 60 % या अधिक
 - (ख) द्वितीय श्रेणी - कुल अंको का 45 % या अधिक किंतु 60% से कम
 - (ग) तृतीय श्रेणी - कुल अंको का 33 % या अधिक किंतु 45% से कम
- (3) परीक्षा की भाषा - विषयानुसार संस्कृत हिन्दी या अंग्रेजी होगी। सम्बद्ध भाषाओं जैसे मैथिली, भोजपुरी इत्यादि में भाषा का माध्यम मैथिलीयाभोजपुरी होगा। संस्कृत, हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी आदि देवनागरी लिपि में एवं अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखे जायेंगे। इतिहास, भूगोल इत्यादि विषय तीनों ही भाषा में लिखे जा सकते हैं।
 - (4) अधिकतम दो पत्रों में अनुत्तीर्णता की स्थिति में छात्र अगले वर्ष की परीक्षा में शामिल हो सकेगा जिसको मात्र उत्तीर्णता दी जाएगी श्रेणी नहीं। दो पत्रों से अधिक पत्रों में अनुत्तीर्ण छात्र अगले वर्ष की परीक्षा में सभी विषयों में प्रविष्ट होकर उत्तीर्ण हो सकेंगे।

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय और उसके बाद प्रदेय शुल्क-

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय और उसके बाद प्रदेय पंजीयन, परीक्षा, लब्धांक, प्रमाणपत्र आदि के निमित्त समय-समय पर विश्वविद्यालय की अधिसूचना या कार्यालय आदेश के द्वारा निर्धारित शुल्क छात्रों द्वारा प्रदेय होगा।

Choice Based Credit System (CBCS) के अनुसार B.A.(Honours) in
Sanskrit के समकक्ष

शास्त्री (प्रतिष्ठा) पाठ्यक्रम एवं परीक्षा विनियमावली- 2017

Regulations for Choice Based Credit System (CBCS) for Shastri
(Honours) Equivalent to B.A.(Honours) in Sanskrit- 2017

(प्रस्तावित सेमेस्टर प्रणाली)

प्रवेशार्हता-

1. भारत के किसी भी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्कृत विश्वविद्यालय/ संस्थान/ बोर्ड/संस्कृत समिति से उपशास्त्री, प्राक्शास्त्री, उत्तर मध्यमा या तत्समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण छात्र उपशास्त्री, प्राक्शास्त्री, उत्तर मध्यमा या तत्समकक्ष परीक्षा का जो मुख्य शास्त्रीय विषय होगा उस विषय में या गणित ज्योतिष, नव्य व्याकरण, नव्य न्याय, वेदान्त एवं मीमांसा विषय को छोड़कर किसी अन्य विषय में इस विश्वविद्यालय के अंगीभूत/ सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालय में शास्त्री (प्रतिष्ठा) के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश पा सकते हैं। यदि छात्र का उपशास्त्री, प्राक्शास्त्री, उत्तर मध्यमा या तत्समकक्ष परीक्षा में मुख्य शास्त्रीय विषय गणित ज्योतिष, नव्य व्याकरण, नव्य न्याय, वेदान्त एवं मीमांसा न हो और वह छात्र इन विषयों में से किसी विषय को शास्त्री (प्रतिष्ठा) के प्रथमशास्त्रीय विषय के रूप में रखते हैं तो उन्हें षष्ठ सेमेस्टर की परीक्षा में प्रवेश से पूर्व प्रथम से पञ्चम सेमेस्टर तक की सभी परीक्षाओं में उत्तीर्णता के साथ ही उक्त सम्बद्ध विषय में उपशास्त्री की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी।
2. भारत के किसी भी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त सामान्य विश्वविद्यालय से संस्कृत सहित इंटरमिडिएट या तत्समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण छात्र गणित ज्योतिष, नव्य व्याकरण, नव्य न्याय, वेदान्त एवं मीमांसा विषय को छोड़कर किसी अन्य विषय में इस विश्वविद्यालय के अंगीभूत/ सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालय में शास्त्री (प्रतिष्ठा) के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश पा सकते हैं। यदि कोई छात्र गणित ज्योतिष, नव्य व्याकरण, नव्य न्याय, वेदान्त एवं मीमांसा विषयों में से किसी विषय को शास्त्री प्रतिष्ठा के प्रथमशास्त्रीय विषय के रूप में रखते है तो उन्हें उस विषय में उपशास्त्री की परीक्षा में

उत्तीर्णता के साथ ही षष्ठ सेमेस्टर की परीक्षा में प्रवेश से पूर्व प्रथम से पञ्चम सेमेस्टर तक की सभी परीक्षाओं में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी।

3. भारत के किसी भी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत रहित इंटरमिडिएट तत्समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण छात्र किसी भी विषय में अंगीभूत/ सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालय में शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश पा सकते हैं।

लेकिन इस कोटि के छात्र शास्त्री में जो मुख्यपाठ्यक्रम का प्रथमशास्त्रीय विषय लेंगे, उस विषय में उपशास्त्री की परीक्षा में उत्तीर्णता के साथ ही षष्ठ सेमेस्टर की परीक्षा में प्रवेश से पूर्व प्रथम से पञ्चम सेमेस्टर तक की सभी परीक्षाओं में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी।

आरक्षण-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वर्ग के छात्रों को नामांकन के सम्बन्ध में राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

पाठ्यक्रम की अवधि-

इस पाठ्यक्रम की अवधि 3 शैक्षणिक वर्षों की होगी, जो छः-छः के महीनों के छः सेमेस्टर में विभक्त होगी।

प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के वर्ष से अधिकतम छः वर्षों तक की अवधि में छात्र को यह पाठ्यक्रम पूरा कर लेना होगा, अन्यथा इस पाठ्यक्रम में किये गये नामांकन को कालातीत माना जाएगा।

प्रति सेमेस्टर कार्यदिवस, वर्गों की कालावधि-

प्रति सेमेस्टर की कार्यावधि 18 सप्ताह की होगी। एक सप्ताह सामान्यतः छः कार्यदिवसों का होगा और एक सप्ताह का कार्यकाल सामान्यतः 30 घंटे का होगा। प्रति सेमेस्टर वर्गों के लिए 15 सप्ताह अर्थात् $15 \times 6 = 90$ कार्यदिवस निर्धारित होगा और अध्ययन-अध्यापन के लिए प्रति कार्यदिवस 5 घंटे की अवधि निर्धारित होगी अर्थात् अध्ययन-अध्यापन के लिए प्रति सप्ताह 6 दिन $\times 5$ घंटे = 30 घंटे और प्रति सेमेस्टर 15 सप्ताह $\times 30$ घंटे = 450 घंटे अपेक्षित होंगे (विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली

परीक्षा तथा अन्य गतिविधियों की कालगणना इसके अन्तर्गत नहीं की जाएगी)। शेष 3 सप्ताह अर्थात् 18 कार्यदिवस का उपयोग परीक्षा, मूल्यांकन आदि के लिए किया जाएगा।

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय और उसके बाद प्रदेय शुल्क-

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय और उसके बाद प्रदेय पंजीयन, परीक्षा, लब्धांक, प्रमाणपत्र आदि के निमित्त समय-समय पर विश्वविद्यालय की अधिसूचना या कार्यालय आदेश के द्वारा निर्धारित शुल्क छात्रों द्वारा प्रदेय होगा।

विषय के चयन के सम्बन्ध में विशेष निर्देश-

- (अ) मुख्य पाठ्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य विषय के रूप में जिस प्रथमशास्त्रीय विषय का अध्ययन किया जाएगा, वही शास्त्री प्रतिष्ठा के विषय के रूप में मान्य होगा। नामांकन से तीन माह के अन्दर कोई छात्र अपना कोई भी विषय परिवर्तन कर सकता है।
- (आ) छात्र द्वारा मुख्य पाठ्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य विषय के रूप में उसी प्रथमशास्त्रीय विषय का चयन किया जा सकता है, जिस विषय के शिक्षक उस महाविद्यालय में होंगे।
- (इ) सामान्यतः महाविद्यालय में तत्तद्विषयक शिक्षकों की उपलब्धता के अनुरूप ही इस पाठ्यक्रम के लिए निर्दिष्ट अन्य विषयों का भी चयन छात्र द्वारा किया जा सकता है। जिस विषय का शिक्षक महाविद्यालय में उपलब्ध न हों, उस विषय का भी चयन छात्र इस शर्त पर कर सकता है कि उस विषय का अध्ययन छात्र अपने स्तर पर पूरा कर लेंगे। इसके लिए एक लिखित वक्तव्य छात्र को महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास समर्पित करना आवश्यक होगा। प्रथमशास्त्रीय विषय के चयन में यह छूट छात्रों को प्रदान नहीं की जाएगी।

पर्यावरण अध्ययन विषय का अध्ययन और उसके लिए प्रदेय प्रमाणपत्र-

इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के क्रम में द्वितीय सेमेस्टर में वर्गावधि से अतिरिक्त अवधि में पर्यावरण अध्ययन इस विषय का भी अध्ययन करना आवश्यक होगा, जिसकी परीक्षा में उत्तीर्णता के पश्चात् एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा।

प्रवेश के समय छात्रों द्वारा समर्पणीय अभिलेख-

- (1) पूर्वोत्तीर्ण परीक्षाओं के (माध्यमिक परीक्षा से लेकर) लब्धाङ्कपत्र एवं मूलप्रमाणपत्र की मूलप्रति और स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति। (लब्धाङ्कपत्र एवं मूलप्रमाणपत्र की मूलप्रति नामांकन के समय अवलोकित कर छात्रों को महाविद्यालय द्वारा वापस कर दी जाएगी)
- (2) उपशास्त्री या तत्समकक्ष परीक्षा जिस संस्था से उत्तीर्ण हो, उस संस्था के परित्यागप्रमाणपत्र की मूलप्रति।
- (3) उपशास्त्री या तत्समकक्ष परीक्षा इस विश्वविद्यालय से भिन्न संस्था से उत्तीर्ण होने की स्थिति में उस संस्था के प्रवजन-प्रमाणपत्र की मूलप्रति। प्रवजन-प्रमाणपत्र की मूलप्रति समर्पित करने हेतु छात्र के अनुरोध पर नामांकन की तिथि से 45 दिनों का समय प्रधानाचार्य दे सकते हैं।
- (4) आधारकार्ड की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति।
- (5) अपेक्षानुसार जाति और आयप्रमाणपत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति।

परीक्षा के सामान्य नियम-

1. परीक्षा तथा आन्तरिक मूल्यांकन

(क) प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा दो भागों में ली जाएगी- (i) आन्तरिक मूल्यांकन (ii) सत्रान्त परीक्षा।

(i) आन्तरिक मूल्यांकन महाविद्यालय द्वारा सम्पादित होगा, जो प्रतिपत्र 25 अंकों का होगा।

आन्तरिक मूल्यांकन की पद्धति निम्नलिखित होगी-

एक-एक घंटे की अलग-अलग तिथियों में तीन लिखित परीक्षा होगी, जिनमें से किसी एक परीक्षा में छात्र को भाग लेना आवश्यक होगा।	15 अंक
Seminar/Quiz	5 अंक
Assignment	5 अंक
कुल	25 अंक

एक-एक घंटे की तीन लिखित परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र तथा Assignment के विषय विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को उपलब्ध कराये जायेंगे और तिथि का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा

ही किया जाएगा। इनका मूल्यांकन महाविद्यालय द्वारा ही किया जाएगा। Seminar/Quiz के लिए विषय या प्रश्न का निर्धारण और उनका भी मूल्यांकन महाविद्यालय द्वारा ही किया जाएगा। तीसरी लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित परीक्षा की तिथि से 21 दिनों के अन्दर लिखित परीक्षा, Seminar/Quiz और Assignment में प्रतिपत्र प्राप्त अंक विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा देना महाविद्यालय के प्रधान का आवश्यक कर्तव्य होगा।

इस आन्तरिक मूल्यांकन में 25 अंकों के 40 प्रतिशत अर्थात् 10 अंक उत्तीर्णता हेतु अपेक्षित होगा।

आन्तरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण छात्रों को अग्रिम और दो सेमेस्टर में अपने आन्तरिक मूल्यांकन के अंक में वृद्धि लाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

आन्तरिक मूल्यांकन में उत्तीर्णता के पश्चात् ही छात्र विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली सत्रान्त परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।

(ii) सत्रान्त परीक्षा प्रत्येक सेमेस्टर के अन्त में सामान्यतः जून और दिसम्बर में विश्वविद्यालय द्वारा ली जाएगी। यह परीक्षा प्रतिपत्र 3 घंटे की होगी। यह परीक्षा प्रतिपत्र 75 अंकों की होगी। विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रतिपत्र 75 अंकों का 40 प्रतिशत अर्थात् 30 अंक उत्तीर्णता हेतु अपेक्षित होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रत्येक प्रत्येक पत्र प्रश्नपत्र तीन खण्डों में विभक्त रहेगा- 1. खण्ड-क 2. खण्ड-ख 3. खण्ड-ग

खण्ड- क में 2-2 अंकों के 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। $2 \times 10 = 20$ अंक

खण्ड- ख में 5-5 अंकों के 10 विषयों में से किन्हीं 5 विषयों पर टिप्पणीलेखन अपेक्षित होगा। $5 \times 5 = 25$ अंक

खण्ड- ग में 10-10 अंकों के 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का यथानिर्देश व्याख्यानात्मक या वर्णनात्मक या विवेचनात्मक या समीक्षात्मक समाधान प्रस्तुत करना होगा। $10 \times 3 = 30$ अंक

इस प्रकार विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रतिपत्र $20 + 25 + 30 = 75$ अंकों का प्रश्नपत्र होगा।

2. परीक्षा में प्रवेशार्हता-

(अ) इस पाठ्यक्रम के शास्त्री के प्रथम सेमेस्टर में नामांकित छात्र विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली प्रति सेमेस्टर की परीक्षा में प्रवेशार्ह होंगे, लेकिन षष्ठ सेमेस्टर की परीक्षा में प्रवेश से पूर्व प्रथम से पञ्चम सेमेस्टर तक की सभी परीक्षाओं तथा यथापेक्षित उपशास्त्री के विषयों की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।

(आ) विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली सत्रान्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्रों से अपेक्षा की जाएगी कि उनकी वर्गोपस्थिति 100 प्रतिशत हो, लेकिन 75 प्रतिशत से कम वर्गोपस्थिति की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली सत्रान्त परीक्षा में छात्र सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

(इ) इस पाठ्यक्रम की परीक्षा में प्रवेश से पूर्व छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में पञ्जीयन कराना आवश्यक होगा और परीक्षावेदनपत्र के साथ पञ्जीयनप्रमाणपत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।।

जो छात्र इस विश्वविद्यालय के अधीन पूर्वतः पञ्जीकृत हैं, उन्हें पुनः पञ्जीयन कराना आवश्यक नहीं होगा, लेकिन परीक्षावेदनपत्र के साथ पञ्जीयनप्रमाणपत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

3. परीक्षा में प्रश्नोत्तर की भाषा-

(अ) Core Course के अन्तर्गत प्रथमशास्त्रीय विषय की परीक्षा में प्रश्नोत्तर की भाषा संस्कृत होगी।

(आ) AECC-1के अन्तर्गत गृहीत भाषाओं की परीक्षा में प्रश्नोत्तर की भाषा गृहीत भाषा होगी।

(इ) AECC-1के अन्तर्गत पर्यावरण अध्ययन विषय की परीक्षा में प्रश्नोत्तर की भाषा हिन्दी होगी।

(ई) DSE द्वितीयशास्त्रीय विषय की परीक्षा में प्रश्नोत्तर की भाषा संस्कृत होगी।

(ई) GE के अन्तर्गत आधुनिक विषय के रूप में गृहीत आधुनिक विषय की परीक्षा में प्रश्नोत्तर की भाषा हिन्दी/ अंग्रेजी होगी, लेकिन हिन्दी और अंग्रेजी भाषा की परीक्षा में प्रश्नोत्तर की भाषा यथारुचि गृहीत भाषा के अनुसार होगी।

(उ) SEC के अन्तर्गत गृहीत विषयों की परीक्षा में प्रश्नोत्तर की भाषा हिन्दी होगी, लेकिन कम्प्यूटर अनुप्रयोग (Computer Application) विषय की परीक्षा में प्रश्नोत्तर की भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगी। इसी प्रकार संस्कृत से सम्बद्ध विषयों की परीक्षा में प्रश्नोत्तर की भाषा हिन्दी अथवा संस्कृत होगी।

5. परीक्षा में उत्तीर्णता या अनुत्तीर्णता का निर्धारण-

इस पाठ्यक्रम की परीक्षा में उत्तीर्णता या अनुत्तीर्णता का निर्धारण इस विनियमावली के अनुच्छेद (B) की बिन्दु संख्या 1-5 में प्रदर्शित मापदण्ड के अनुसार महाविद्यालय द्वारा किये गये आन्तरिक मूल्यांकन और विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में छात्रों द्वारा प्रदर्शित योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के क्रम में ही पर्यावरण अध्ययन विषय की अलग से 50 पूर्णांक की परीक्षा ली जाएगी। इस विषय की परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली उपाधि-

इस पाठ्यक्रम की सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों को शास्त्री (प्रतिष्ठा) B.A.(Honours) के समकक्ष की उपाधि प्रदान की जाएगी और प्रथम से षष्ठ सेमेस्टर की परीक्षाओं का समेकित लब्धांकपत्र भी छात्रों को प्रदान किया जाएगा। प्रथम से पञ्चम सेमेस्टर की परीक्षाओं का केवल लब्धांकपत्र ही प्रदान किया जाएगा। मुख्य पाठ्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य विषय के रूप में जो प्रथमशास्त्रीय विषय होगा, वही शास्त्री प्रतिष्ठा का विषय होगा। अतः शास्त्री (प्रतिष्ठा) की उपाधि प्रथमशास्त्रीय विषय में ही दी जाएगी।

विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के क्रम में ही पर्यावरण अध्ययन विषय की अलग से 100 पूर्णांक की परीक्षा ली जाएगी। इस विषय की परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। उत्तीर्ण छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा, जिसका नाम होगा- पर्यावरण अध्ययन प्रमाणपत्र।

7. अन्ध या आकस्मिक कारणों से स्वयं लिखने में असमर्थ छात्रों की परीक्षा व्यवस्था:-

यदि कोई अन्ध या आकस्मिक कारणों से स्वयं लिखने में असमर्थ छात्र परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो परीक्षा प्रारम्भ से आधा घंटा पूर्व अपने साथ किसी एक लेखक के नाम-पता-

व्यवसाय सहित सप्रमाण आवेदन देकर केन्द्राधीक्षक से उसे लेखक के रूप में प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध कर सकता है। लेखक यदि उक्त विभाग का छात्र या उक्त परीक्षा के योग्यताधारी अथवा शिक्षक नहीं हो तो उसे केन्द्राधीक्षक लेखक के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकता है। परन्तु ऐसे लेखक केवल अन्ध या आकस्मिक कारणों से स्वयं लिखने में असमर्थ छात्र द्वारा लिखाये जाने वाले उत्तर को उनकी उत्तरपुस्तिका पर अंकित करेंगे न कि अपनी ओर से उत्तर लिखेंगे। केन्द्राधीक्षक ऐसे छात्रों की उत्तरपुस्तिकायें पृथक् सील कर लिफाफे पर “अन्ध या आकस्मिक कारणों से स्वयं लिखने में असमर्थ परीक्षार्थी” अंकित करते हुए विश्वविद्यालय को उपलब्ध करावेंगे। साथ ही प्रतिनियुक्त लेखक का नाम-पता-व्यवसाय सहित उनकी योग्यता को भी प्रतिवेदित करेंगे।

8. संक्रामक रोग से ग्रस्त परीक्षार्थी के लिए की जाने वाली व्यवस्था-

यदि कोई परीक्षार्थी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो तो वह परीक्षार्थी इसकी सूचना परीक्षा प्रारम्भ होने से आधा घंटा पूर्व लिखित रूप में केन्द्राधीक्षक को देगा। केन्द्राधीक्षक द्वारा उसकी आसन-व्यवस्था अलग से की जायेगी परन्तु उनकी उत्तरपुस्तिका समेकित रूप से अन्य छात्रों के साथ ही भेजी जायेगी। संक्रामक रोग से ग्रस्त यदि कोई परीक्षार्थी केन्द्राधीक्षक को लिखित रूप से सूचना दिये विना परीक्षा में बैठ जाता है तो जानकारी मिलने पर केन्द्राधीक्षक उसे परीक्षाकेन्द्र से बहिष्कृत भी कर सकते हैं।

9. परीक्षा में कदाचार करने या कराने में दण्ड-

यदि कोई छात्र परीक्षा भवन/ प्रकोष्ठ में निर्गत आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करते अथवा कदाचार करने या कराने में संलिप्त पाये जाते हैं तो उन्हें सक्षम पदाधिकारी (सम्बद्ध कक्ष के वीक्षक और विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षक) की अनुशंसा पर केन्द्राधीक्षक द्वारा उक्त परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है और इस तरह की गई कार्यवाही की सूचना आवश्यक कार्यार्थ तत्काल ही केन्द्राधीक्षक विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा देंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस विनियमावली के अधीन या बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम-1981 (बिहार अधिनियम-1, 1982) के उपबन्धों के अधीन ऐसा परीक्षार्थी दण्ड का भागी होगा।

10. अन्यथा उपबन्ध-

इस विनियमावली में किसी बात/विषय का उल्लेख रहते हुए भी अन्यथा की स्थिति में परीक्षा परिषद् की राय से और/ अथवा कुलपति के आदेश से कोई भी सुसंगत नया आदेश/ निर्देश निर्गत किया जा सकेगा और वह इस विनियमावली के अधीन सुसंगत और प्रवृत्त माना जाएगा।

11. निरसन-व्यावृत्ति-

(क) इस विनियमावली के अधीन किये गये उपबन्धों के रहते हुए भी परीक्षा परिषद् की राय से विद्वत्परिषद् की अनुशंसा पर अभिषद्, अधिषद् द्वारा किसी भी अनुच्छेद में संशोधन/ परिवर्तन/ परिवर्द्धन या उसका निरसन किया जा सकेगा और वह तत्काल प्रभाव से तबतक प्रभावी माना जायेगा जबतक कि महामहिम द्वारा इस संशोधन/परिवर्तन/परिवर्द्धन/ निरसन के विरुद्ध कोई विपरीत अथवा अन्यथा आदेश प्राप्त नहीं होता है।

(ख) इस विनियमावली में किसी बात/विषय के विपरीत अथवा अन्यथा की स्थिति में भी बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम-1981 (बिहार अधिनियम-1,1982) के अन्तर्गत निहित प्रावधान समान रूप से लागू समझे जायेंगे।

पाठ्यक्रम का विभाजन और विषय-

यह पाठ्यक्रम मुख्यतः निम्नलिखित पाँच भागों में विभक्त होगा-

1. मुख्यपाठ्यक्रम
2. चयनयोग्य पाठ्यक्रम
3. दक्षता संवर्द्धन पाठ्यक्रम
4. कौशल विकास पाठ्यक्रम
5. विशेष पाठ्यक्रम (पर्यावरण अध्ययन)

इन पाठ्यक्रमों के उपविभाग और विषय निम्नलिखित होंगे-

1. मुख्यपाठ्यक्रम

(अ) मुख्य विषय(प्रथमशास्त्रीय विषय)- Course Code - CC (Core Courses)

इसके अन्तर्गत साहित्य, नव्य व्याकरण, प्राचीन व्याकरण, गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, धर्मशास्त्र, पुराण, ऋग्वेद, सामवेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, अथर्ववेद, कर्मकाण्ड, आगम, प्राचीन न्याय, नव्य न्याय, सर्वदर्शन में से किसी एक विषय का अध्ययन अपेक्षित होगा।

प्राकृत, पालि. सांख्ययोग दर्शन, मीमांसा, शांकरवेदान्त, रामानुज वेदान्त, मध्व वेदान्त, वल्लभ वेदान्त, शैवागम, जैनदर्शन, बौद्धदर्शन आदि के पाठ्यक्रम बाद में प्रकाशित किये जायेंगे।

(आ) भाषा- Course Code - LC (Language Courses)

इसके अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, मैथिली, भोजपुरी में से किसी एक भाषा का अध्ययन अपेक्षित होगा।

2. चयनयोग्य पाठ्यक्रम

(अ) सम्बद्धविषय(द्वितीयशास्त्रीय विषय) **Course Code - AC (Allied Courses)**

इसके अन्तर्गत मुख्य पाठ्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यविषय (प्रथमशास्त्रीय विषय) के रूप में गृहीत विषय से भिन्न साहित्य, नव्य व्याकरण, प्राचीन व्याकरण, गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, धर्मशास्त्र, पुराण, ऋग्वेद, सामवेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, अथर्ववेद, कर्मकाण्ड, आगम, प्राचीन न्याय, नव्य न्याय, सर्वदर्शन में से किसी एक विषय का अध्ययन अपेक्षित होगा।

सांख्ययोग दर्शन, मीमांसा, शांकरवेदान्त, रामानुज वेदान्त, मध्व वेदान्त, वल्लभ वेदान्त, शैवागम, जैनदर्शन, बौद्धदर्शन आदि के सम्बन्ध में बाद में निर्णय लिया जाएगा।

(आ) सामान्य रुचि के विषय (आधुनिक विषय) **Course Code - EC (Elective Courses)**

इसके अन्तर्गत भाषाविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल एवं गणित में से किसी एक विषय का अध्ययन अपेक्षित होगा।

3. दक्षता संवर्द्धन पाठ्यक्रम **Course Code- AEC (Ability Enhancement Courses)**

इसके अन्तर्गत कर्मकाण्ड, प्रवचन, भारतीय चिकित्सापद्धति का परिचय (आयुर्वेद), कुण्डलीनिर्माण, वास्तुविचार, पाण्डुलिपिविज्ञान में से किसी एक विषय का अध्ययन पञ्चम और षष्ठ सेमेस्टर में अपेक्षित होगा।

4. कौशल विकास पाठ्यक्रम **Course Code - SEC (Skill Enhancement Courses)**

इसके अन्तर्गत कम्प्यूटर अनुप्रयोग (Computer Application), हस्तरेखा विज्ञान, फार्मोसी, मिथिला पेंटिंग और योगमें से किसी एक विषय अध्ययन पञ्चम और षष्ठ सेमेस्टर में अपेक्षित होगा।

5. विशेष पाठ्यक्रम **Course Code - ESC (Environmental Studies Cours)**

इसके अन्तर्गत पर्यावरण विषय का अध्ययन अपेक्षित होगा।

पाठ्यक्रम की रूपरेखा के साथ सेमेस्टर के अनुसार पाठ्यक्रम, विषय, क्रेडिट, साप्ताहिक व्याख्यान एवं अंक का विभाजन-

इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा के साथ सेमेस्टर के अनुसार पाठ्यक्रम, विषय, क्रेडिट, साप्ताहिक व्याख्यान एवं अंक का विभाजन निम्नलिखित तालिकाओं के अनुसार होगा-

क्र. सं.	Course	Sub-Course	पाठ्यक्रम का Code	कुल पत्र	प्रतिपत्र Credit	कुल Credit	प्रति Credit प्रतिसप्ताह व्याख्यान तथा अनुशिक्षण/ प्रयोग (घंटे में)		
							व्याख्यान	अनुशिक्षण/ प्रयोग	योग
I.	Core Course	-	CC	14	6	84	5	1	6
II.	Elective Course	A. Discipline Specific Elective	DSE	4	6	24	5	1	6
		B. Generic Elective	GE	4	6	24	5	1	6
III.	Ability Enhancement Course	A. Ability Enhancement Compulsory Course	AEC C-1	1	2	2	2	0	2
		B. Ability Enhancement Compulsory Course	AEC C-2	1	2	2	2	0	2
	Skill Enhancement Course	A. Skill Enhancement Course	SEC-1	1	2	2	1	1	2
		B. Skill Enhancement Course	SEC-2	1	2	2	1	1	2

प्रतिपाठ्यक्रम पाठ्यविषय-

I. Core Course (प्रथमशास्त्रीय विषय)

इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथमशास्त्रीय विषय के रूप में साहित्य, नव्य व्याकरण, प्राचीन व्याकरण, गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, धर्मशास्त्र, पुराण, ऋग्वेद, सामवेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, अथर्ववेद, कर्मकाण्ड, आगम, प्राचीन न्याय, नव्य न्याय, सर्वदर्शन में से किसी एक विषय का अध्ययन अपेक्षित होगा।

सांख्ययोग दर्शन, मीमांसा, शांकरवेदान्त, रामानुज वेदान्त, मध्व वेदान्त, वल्लभ वेदान्त, शैवागम, जैनदर्शन, बौद्धदर्शन आदि के सम्बन्ध में बाद में निर्णय लिया जाएगा।

II. Elective Course

A. Discipline Specific Elective (DSE) (द्वितीयशास्त्रीय विषय)

इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथमशास्त्रीय विषय के रूप में गृहीत विषय से भिन्न साहित्य, नव्य व्याकरण, प्राचीन व्याकरण, गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, धर्मशास्त्र, पुराण, ऋग्वेद, सामवेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, अथर्ववेद, कर्मकाण्ड, आगम, प्राचीन न्याय, नव्य न्याय, सर्वदर्शन में से किसी एक विषय का अध्ययन अपेक्षित होगा।

सांख्ययोग दर्शन, मीमांसा, शांकरवेदान्त, रामानुज वेदान्त, मध्व वेदान्त, वल्लभ वेदान्त, शैवागम, जैनदर्शन, बौद्धदर्शन आदि के सम्बन्ध में बाद में निर्णय लिया जाएगा।

B. Generic Elective (GE) (आधुनिक विषय)

इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत भाषाविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल एवं गणित में से किसी एक विषय का अध्ययन अपेक्षित होगा।

III. Ability Enhancement Course

A. Ability Enhancement Compulsory Course (AECC -1 और AECC-2)

दक्षता संवर्धन हेतु अनिवार्य पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Compulsory Course) के अधीन Course Code-AECC -1 के अन्तर्गत प्रथम सेमेस्टर में भाषाध्ययन के रूप में अंग्रेजी अथवा

आधुनिक भारतीय भाषा- 1. हिन्दी 2. संस्कृत 3. मैथिली 4. भोजपुरी में से किसी एक विषय का अध्ययन अपेक्षित होगा।

दक्षता संवर्धन हेतु अनिवार्य पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Compulsory Course) के अधीन Course Code-AECC -2 के अन्तर्गत द्वितीय सेमेस्टर में - पर्यावरण विज्ञान विषय का अध्ययन अपेक्षित होगा।

B. कौशल विकास पाठ्यक्रम Skill Enhancement Course (SEC)

कौशल विकास पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) के अधीन Course Code-SEC-1 के अन्तर्गत पञ्चम सेमेस्टर में कर्मकाण्ड, प्रवचन, भारतीय चिकित्सापद्धति का परिचय (आयुर्वेद), कुण्डलीनिर्माण, वास्तुविचार, पाण्डुलिपिविज्ञान में से एक विषय का अध्ययन अपेक्षित होगा।

कौशल विकास पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) के अधीन Course Code-SEC-2 के अन्तर्गत षष्ठ सेमेस्टर में - कम्प्यूटर अनुप्रयोग (Computer Application), हस्तरेखा विज्ञान, फार्मेसी, मिथिला पेंटिंग और योग में से एक विषय का अध्ययन अपेक्षित होगा।

पाठ्यक्रम की रूपरेखा

क्र. सं	Course	Sub-Course	पाठ्यक्रम का Code	कुल पत्र	प्रति पत्र Credit	कुल Credit	प्रति Credit प्रतिसप्ताह व्याख्यान तथा अनुशिक्षण/प्रयोग (घंटे में)		
							व्याख्यान	अनुशिक्षण/प्रयोग	योग
I.	Core Course	-	CC	14	6	84	5	1	6
II.	Elective Course	A. Discipline Specific Elective	DSE	4	6	24	5	1	6
		B. Generic Elective	GE	4	6	24	5	1	6
III	Ability	A. Ability	AEC	1	2	2	2	0	2

.	Enhancement Course	Enhancement Compulsory Course	C-1						
		B.Ability Enhancement Compulsory Course	AEC C- 2	1	2	2	2	0	2
	Skilii Enhancement Course	A. Skill Enhancement Course	SEC-1	1	2	2	1	1	2
		A. Skill Enhancement Course	SEC-2	1	2	2	1	1	2

प्रतिसेमेस्टर निर्धारित पाठ्यक्रम

Semester	Core Course	Elective Course		Ability Enhancement	
	Core Course (CC) 14 Papers	A. Discipline Specific Elective (DSE) 4 papers	B. Generic Elective (GE) 4 Papers	A. Ability Enhancement Compulsory Course (AECC) 2 Papers	B. Skill Enhancement Course (SEC) 2 Papers
1 st	CC-1 CC-2	DSE-1	GE-1	AECC-1	-
2 nd	CC-3 CC-4	DSE-2	GE-2	AECC-2	-
3 rd	CC-5 CC-6	DSE-3	GE-3	-	-
4 th	CC-7	DSE-4	GE-4	-	-

	CC-8				
5 th	CC-9 CC-10 CC-11	-	-	-	SEC-1
6 th	CC-12 CC-13 CC-14	-	-	-	SEC-2

टिप्पणी - द्वितीय सेमेस्टर में पर्यावरण अध्ययन विषय का अध्ययन करना आवश्यक होगा। इस विषय में 100 पूर्णांक की परीक्षा ली जाएगी। इस विषय की परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। उत्तीर्ण छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा, जिसका नाम होगा- पर्यावरण अध्ययन प्रमाणपत्र।

2. सेमेस्टर के अनुसार पाठ्यक्रम, विषय, क्रेडिट, साप्ताहिक व्याख्यान तथा अंक प्रथम सेमेस्टर

पाठ्यक्रम	विषय	पत्रसंख्या	क्रेडिट	प्रतिसप्ताह वर्ग (घंटों में)		अंक	
				व्याख्यान	अनुशिक्षण (Tutorial)	लिखित	आन्तरिक मूल्यांकन
मुख्य	प्रथमशास्त्रीय विषय	प्रथम	6	5	1	75	25
		द्वितीय	6	5	1	75	25
	भाषा	प्रथम	6	5	1	75	25
चयनयोग्य	द्वितीयशास्त्रीय विषय	प्रथम	6	5	1	75	25
	आधुनिक विषय	प्रथम	6	5	1	75	25
योग			30	25	5	375	125

द्वितीय सेमेस्टर

पाठ्यक्रम	विषय	पत्रसंख्या	क्रेडिट	प्रतिसप्ताह वर्ग (घंटों में)		अंक	
				व्याख्यान	अनुशिक्षण (Tutorial)	लिखित	आन्तरिक मूल्यांकन
मुख्य	प्रथमशास्त्रीय विषय	तृतीय	6	5	1	75	25
		चतुर्थ	6	5	1	75	25
	भाषा	द्वितीय	6	5	1	75	25
चयनयोग्य	द्वितीयशास्त्रीय विषय	द्वितीय	6	5	1	75	25
	आधुनिक विषय	द्वितीय	6	5	1	75	25
योग			30	25	5	375	125

तृतीय सेमेस्टर

पाठ्यक्रम	विषय	पत्रसंख्या	क्रेडिट	प्रतिसप्ताह वर्ग (घंटों में)		अंक	
				व्याख्यान	अनुशिक्षण (Tutorial)	लिखित	आन्तरिक मूल्यांकन
मुख्य	प्रथमशास्त्रीय विषय	पञ्चम	6	5	1	75	25
		षष्ठ	6	5	1	75	25
	भाषा	तृतीय	6	5	1	75	25
चयनयोग्य	द्वितीयशास्त्रीय विषय	तृतीय	6	5	1	75	25
	आधुनिक विषय	तृतीय	6	5	1	75	25
योग			30	25	5	375	125

चतुर्थ सेमेस्टर

पाठ्यक्रम	विषय	पत्रसंख्या	क्रेडिट	प्रतिसप्ताह वर्ग (घंटों में)		अंक	
				व्याख्यान	अनुशिक्षण (Tutorial)	लिखित	आन्तरिक मूल्यांकन
मुख्य	प्रथमशास्त्रीय विषय	सप्तम	6	5	1	75	25
		अष्टम	6	5	1	75	25
	भाषा	चतुर्थ	6	5	1	75	25
चयनयोग्य	द्वितीयशास्त्रीय विषय	चतुर्थ	6	5	1	75	25
	आधुनिक विषय	चतुर्थ	6	5	1	75	25
योग			30	25	5	375	125

पञ्चम सेमेस्टर

पाठ्यक्रम	विषय	पत्र	क्रेडिट	प्रतिसप्ताह वर्ग (घंटों में)		अंक	
				व्याख्यान	अनुशिक्षण / प्रायोगिक (Tutorial/ Practical)	लिखित	आन्तरिक मूल्यांकन
मुख्य	प्रथमशास्त्रीय विषय	नवम	6	5	1	75	25
		दशम	6	5	1	75	25
		एकादश	6	5	1	75	25
दक्षता संवर्द्धन	यथागृहीत एक विषय	प्रथम	6	5	1	75	25
कौशल विकास	यथागृहीत एक विषय	प्रथम	6	5	1	75	25
योग			30	25	5	375	125

षष्ठ सेमेस्टर

पाठ्यक्रम	विषय	पत्र	क्रेडिट	प्रतिसप्ताह वर्ग (घंटों में)		अंक	
				व्याख्यान	अनुशिक्षण / प्रायोगिक (Tutorial/ Practical)	लिखित	आन्तरिक मूल्यांकन
मुख्य	प्रथमशास्त्रीय विषय	द्वादश	6	5	1	75	25
		त्रयोदश	6	5	1	75	25
		चतुर्दश	6	5	1	75	25
दक्षता संवर्द्धन	यथागृहीत एक विषय	द्वितीय	6	5	1	75	25
कौशल विकास	यथागृहीत एक विषय	द्वितीय	6	5	1	75	25
योग			30	25	5	375	125

Credit का तात्पर्य (यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार)

- (i) 1 Credit = 1 Theory period of one hour duration
- (ii) 1 Credit = 1 Tutorial period of one hour duration
- (iii) 1 Credit = 1 Practical period of two hour duration

(इ) पूरे पाठ्यक्रम में कुल पत्र, क्रेडिट तथा अंक-

सेमेस्टर	पत्र	क्रेडिट	अंक		
			लिखित	आन्तरिक	योग
प्रथम	5	30	375	125	500
द्वितीय	5	30	375	125	500
तृतीय	5	30	375	125	500
चतुर्थ	5	30	375	125	500

पञ्चम	5	30	375	125	500
षष्ठ	5	30	375	125	500
योग	30	180	2250	750	3000

(ई) व्याख्यानों की संख्या-

सेमेस्टर	प्रतिसप्ताह व्याख्यान (घंटों में)			15 सप्ताह के प्रति सेमेस्टर मेंकुल व्याख्यान (साप्ताहिक योग x 15)
	व्याख्यान	अनुशिक्षण	योग	
प्रथम	25	5	30	450 घंटे
द्वितीय	25	5	30	450 घंटे
तृतीय	25	5	30	450 घंटे
चतुर्थ	25	5	30	450 घंटे
पञ्चम	25	5	30	450 घंटे
षष्ठ	25	5	30	450 घंटे
योग	150	30	180	2700 घंटे

(२) उत्तीर्णता या अनुत्तीर्णता एवं ग्रेड प्रदान करने का मापदण्ड

(1) उत्तीर्णता या अनुत्तीर्णता एवं ग्रेड प्रदान करने के लिए प्रथमतः प्रतिसेमेस्टर प्रतिपत्र प्राप्त अंक को निम्नलिखित तालिका के अनुसार Grade Point में परिवर्तित कर Letter Grade का निर्धारण किया जाएगा-

प्रतिपत्र प्राप्त अंक (पूर्णांक 100 में)	Grade Point	Letter Grade
96 और उससे अधिक	10	S+
91-95	9.5	S
86-90	9	D++
81-85	8.5	D+
76-80	8	D
71-75	7.5	A++

66-70	7	A+
61-65	6.5	A
56- 60	6	B+
51- 55	5.5	B
46-50	5	B+
40-45	4.5	C
40 से न्यून	0	F

(2) प्रत्येक सेमेस्टर में प्रतिपत्र निर्धारित Credit की संख्या और प्रतिपत्र प्राप्त Grade Point के गुणनफल को Credit Point कहा जाएगा। एक सेमेस्टर के सभी पत्रों के Credit की कुल संख्या से सभी पत्रों को मिलाकर Credit Point की होने वाली कुल संख्या को भाग करने पर जो भागफल प्राप्त होगा, उसे Grade Point Average (GPA) कहा जाएगा। सभी सेमेस्टर के सभी पत्रों के Credit की कुल संख्या से सभी पत्रों में प्राप्त कुल GPA और Credit की कुलसंख्या के गुणनफल को भाग करने पर जो भागफल प्राप्त होगा, उसे Cumulative Grade Point Average (CGPA) कहा जाएगा। इसी Cumulative Grade Point Average (CGPA) के आधार पर ही निम्नलिखित तालिका के अनुसार छात्रों को Letter Grade और श्रेणी प्रदान करने के साथ अन्तिम परीक्षाफल उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा-

CGPA	Letter Grade	Classification of Result
9.51 and above	S+	प्रथम श्रेणी (अनुकरणीय) (First Class- Exemplary)
9.01-9.50	S	
8.51-9.00	D++	प्रथम श्रेणी (उत्कृष्ट) (First Class- Distinction)
8.01-8.50	D+	
7.51-8.00	D	
7.01-7.50	A++	प्रथम श्रेणी (First Class)
6.51-7.00	A+	
6.01-6.50	A	

5.51-6.00	B+	द्वितीय श्रेणी (Secind Class)
5.01-5.50	B	
4.51-5.00	C+	तृतीय श्रेणी (Third Class)
4.00-4.50	C	
Below 4.00	F	अनुत्तीर्ण (Fail)

(3) Grade Point Average (GPA) एवं Cumulative Grade Point Average (CGPA) निकालने के लिए और CGPA के आधार पर Letter Grade और श्रेणी प्रदान करने के साथ अन्तिम परीक्षाफल घोषित करने के लिए निम्नलिखित तालिकाओं का सहयोग नमूने के रूप में लिया जा सकता है-

प्रथम सेमेस्टर

पाठ्य क्रम	विषय	पत्रसंख्या	क्रेडिट	पूर्णांक	प्राप्तांक	Grade Point	Letter Grade	Credit Point (Credit x Grade Point)	GPA (A sum of Credit Points/ A sum of Credits)
मुख्य	प्रथमशास्त्रीय विषय	प्रथम	6	100	96 और उससे अधिक	10	S+	60	
		द्वितीय	6	100	91-95	9.5	S	57	
	भाषा	प्रथम	6	100	86-90	9	D++	54	
चयन योग्य	द्वितीयशास्त्रीय विषय	प्रथम	6	100	81-85	8.5	D+	51	
	आधुनिक विषय	प्रथम	6	100	76-80	8	D	48	

योग	30						270	9
-----	----	--	--	--	--	--	-----	---

द्वितीय सेमेस्टर

पाठ्यक्रम	विषय	पत्रसंख्या	क्रेडिट	पूर्णांक	प्राप्तांक	Grade Point	Letter Grade	Credit Point (Credit x Grade Point)	GPA (A sum of Credit Points/ A sum of Credits)
मुख्य	प्रथमशास्त्रीय विषय	तृतीय	6	100	66-70	7	A+	42	
		चतुर्थ	6	100	61-65	6.5	A	39	
	भाषा	द्वितीय	6	100	56-60	6	B+	36	
चयनयोग्य	द्वितीयशास्त्रीय विषय	द्वितीय	6	100	51-55	5.5	B	33	
	आधुनिक विषय	द्वितीय	6	100	46-50	5	B+	30	
योग			30					180	6

तृतीय सेमेस्टर

पाठ्यक्रम	विषय	पत्रसंख्या	क्रेडिट	पूर्णांक	प्राप्तांक	Grade Point	Letter Grade	Credit Point (Credit x Grade Point)	GPA (A sum of Credit Points/ A sum of Credits)
मुख्य	प्रथमशास्त्रीय विषय	पञ्चम	6	100	86-90	9	D++	54	
		षष्ठ	6	100	81-85	8.5	D+	51	
	भाषा	तृतीय	6	100	76-80	8	D	48	
चयनयोग्य	द्वितीयशास्त्रीय विषय	तृतीय	6	100	71-75	7.5	A++	45	
	आधुनिक विषय	तृतीय	6	100	66-70	7	A+	42	
योग			30					240	8

चतुर्थ सेमेस्टर

पाठ्यक्रम	विषय	पत्रसंख्या	क्रेडिट	पूर्णांक	प्राप्तांक	Grade Point	Letter Grade	Credit Point (Credit x Grade Point)	GPA (A sum of Credit Points/ A sum of Credits)
मुख्य	प्रथमशास्त्रीय विषय	सप्तम	6	100	76-80	8	D	48	
		अष्टम	6	100	71-	7.5	A++	45	

					75				
	भाषा	चतुर्थ	6	100	66-70	7	A+	42	
चयनयोग्य	द्वितीयशास्त्रीय विषय	चतुर्थ	6	100	61-65	6.5	A	39	
	आधुनिक विषय	चतुर्थ	6	100	56-60	6	B+	36	
योग			30					210	7

पञ्चम सेमेस्टर

पाठ्यक्रम	विषय	पत्र	क्रेडिट	पूर्णांक	प्राप्तांक	Grade Point	Letter Grade	Credit Point (Credit x Grade Point)	GPA (A sum of Credit Points/ A sum of Credits)
मुख्य	प्रथमशास्त्रीय विषय	नवम	6	100	81-85	8.5	D+	51	
		दशम	6	100	76-80	8	D	48	
		एकादश	6	100	71-75	7.5	A++	45	
दक्षता संवर्द्धन	यथागृहीत एक विषय	प्रथम	6	100	66-70	7	A+	42	
कौशल विकास	यथागृहीत एक विषय	प्रथम	6	100	61-65	6.5	A	39	
योग			30					225	7.5

षष्ठ सेमेस्टर

पाठ्यक्रम	विषय	पत्र	क्रेडिट	पूर्णांक	प्राप्तांक	Grade Point	Letter Grade	Credit Point (Credit x Grade Point)	GPA (A sum of Credit Points/ A sum of Credits)
मुख्य	प्रथमशास्त्रीय विषय	द्वादश	6	100	71-75	7.5	A++	45	
		त्रयोदश	6	100	66-70	7	A+	42	
		चतुर्दश	6	100	61-65	6.5	A	39	
दक्षता संवर्द्धन	यथागृहीत एक विषय	द्वितीय	6	100	56-60	6	B+	36	
कौशल विकास	यथागृहीत एक विषय	द्वितीय	6	100	51-55	5.5	B	33	
योग			30					195	6.5

(4) प्रतिसेमेस्टर क्रेडिट और GPA के आधार पर परिगणित CGPA

सेमेस्टर	क्रेडिट	GPA	(क्रेडिट और GPA का गुणनफल (क्रेडिट x GPA))	CGPA (क्रेडिट की कुलसंख्या और GPA की कुलसंख्या का गुणनफल/ क्रेडिट की कुलसंख्या)
प्रथम	30	9	270	क्रेडिट की कुलसंख्या= 180 GPA की कुलसंख्या= 44 दोनों का गुणनफल= 180x44= 1320 क्रेडिट की कुलसंख्या= 180
द्वितीय	30	6	180	
तृतीय	30	8	240	
चतुर्थ	30	7	210	

पञ्चम	30	7.5	225	अतः 1320/ 180= 7.33
षष्ठ	30	6.5	195	
योग	180	44	1320	

(5) इस प्रकार प्रथम सेमेस्टर से षष्ठ सेमेस्टर तक एक-एक सौ के पूर्णांक में उपरिनिर्दिष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र के अन्तिम लब्धांकपत्र में CGPA- 7.33, ग्रेड- A++ और श्रेणी- प्रथम श्रेणी अंकित करते हुए उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

विविध पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीट-

1. स्नातक स्तरीय महाविद्यालय – उपशास्त्री – 100 (प्रतिवर्ष)
- शास्त्री - 100 (प्रतिवर्ष)

विशेष परिस्थिति में प्रधानाचार्य कुलपति का आदेश प्राप्त कर निर्धारित सङ्ख्या से अधिक नामांकन ले सकेंगे।

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय और उसके बाद प्रदेय शुल्क

Fee Structure for the Session 2019-20

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय और उसके बाद प्रदेय पंजीयन, परीक्षा, लब्धांक, प्रमाणपत्र आदि के निमित्त समय-समय पर महाविद्यालय की अधिसूचना या कार्यालय आदेश के द्वारा निर्धारित शुल्क छात्रों द्वारा प्रदेय होगा।

शिक्षकों से सम्बन्धित विभागानुसार सूचना

Faculty

Department Wise Information

अन्तर स्नातक एवं स्नातक शिक्षण से सम्बन्धित विभिन्न विभागों में कार्यरत शिक्षकों की सूची ,चलदूरभाषसङ्ख्या एवं Email ID:-

नाम -	सम्पर्कसूत्र -	Email -
1. प्रो० शक्तिनाथ झा (प्रधानाचार्य)	7903985485 9931856680	snjha0512@gmail.com
2. डॉ. अमरकान्त झा – साहित्य (उपाचार्य)	9608716528	dramarkantjha@gmail.com
3. श्री जयप्रकाश ठाकुर – साहित्य (उपाचार्य)	8434269226
4. श्री इन्दुदत्त झा – व्याकरण (सहायक प्राचार्य)	7362897529
5. श्री उपेन्द्र कुमार चौधरी - सा.संस्कृत (सहायक प्राचार्य)	9931741559 8544044548	ukchoudhary03@gmail.com
6. डॉ. आनन्द दत्त झा - वेद (सहायक प्राचार्य)	9839954689 6393064874	adjhavns2011@gmail.com
7. डॉ. आशीष कुमार - अंग्रेजी (सहायक प्राचार्य)	9466554818	ashishcuhp@gmail.com
8. डॉ. निक्की प्रयदर्शिनी - मैथिली (सहायक प्राचार्य)	9162504781	nikky0283@gmail.com
9. श्री रूपेश कुमार झा - व्याकरण (सहायक प्राचार्य)	9430676656	jharupesh.kmc@gmail.com

शिक्षकेतर कर्मचारियों की सूची –

1. श्री विनोद कुमार झा
(रात्रि प्रहरी)
2. श्री मनोज कुमार मिश्रा - (आदेशपाल)

महाविद्यालय की विभिन्न समितियां

1. विकास समिति –

- i. प्रधानाचार्य
- ii. विश्वविद्यालय प्रतिनिधि
- iii. विश्वविद्यालय अभियन्ता
- iv. श्री जयप्रकाश ठाकुर (बर्सर)

2. अनुशासन समिति –

- i. प्रधानाचार्य (अध्यक्ष)
- ii. श्री इन्दुदत्त झा
- iii. डॉ. आनन्ददत्त झा
- iv. श्री रूपेश कुमार झा

3. भवन समिति –

- i. प्रधानाचार्य
- ii. डॉ. अमरकान्त झा
- iii. श्री उपेन्द्र कुमार चौधरी
- iv. श्री जयप्रकाश ठाकुर (बर्सर)
- v. विश्वविद्यालय अभियन्ता

4. बन्दोवस्ती समिति –

- i. श्री इन्दुदत्त झा (संयोजक)
- ii. श्री जयप्रकाश ठाकुर (बर्सर)
- iii. श्री उपेन्द्र कुमार चौधरी

5. एण्टी रैगिंग सेल –

- i. प्रधानाचार्य
- ii. श्री उपेन्द्र कुमार चौधरी
- iii. डॉ. आनन्ददत्त झा
- iv. श्री रूपेश कुमार झा

- v. डॉ. निक्की प्रियदर्शिनी
6. परामर्शदात्री समिति –
- प्रधानाचार्य
 - डॉ. अमरकान्त झा
 - श्री इन्दुदत्त झा
7. नामांकन समिति –
- श्री इन्दुदत्त झा (संयोजक)
 - डॉ. निक्की प्रियदर्शिनी
 - श्री रूपेश कुमार झा
8. पुस्तकालय समिति –
- श्री इन्दुदत्त झा
 - श्री उपेन्द्र कुमार चौधरी
9. IQA Cell –
- प्रधानाचार्य
 - श्री उपेन्द्र कुमार चौधरी (संयोजक)
 - डॉ. आशीष कुमार
 - डॉ. निक्की प्रियदर्शिनी
 - श्री इन्दुदत्त झा
10. नैक समिति –
- प्रधानाचार्य
 - श्री उपेन्द्र कुमार चौधरी
 - डॉ. आशीष कुमार
 - डॉ. निक्की प्रियदर्शिनी
11. समय सारणी समिति –
- डॉ. आनन्ददत्त झा
 - श्री रूपेश कुमार झा

- iii. डॉ. निक्की प्रियदर्शिनी
12. क्रीड़ा / कला एवं संस्कृति समिति –
- i. डॉ. आनन्ददत्त झा
 - ii. श्री रूपेश कुमार झा
 - iii. डॉ. निक्की प्रियदर्शिनी
 - iv. डॉ. आशीष कुमार
13. क्रय समिति –
- i. प्रधानाचार्य
 - ii. श्री उपेन्द्र कुमार चौधरी
 - iii. श्री जयप्रकाश ठाकुर (बर्सर)
 - iv. श्री इन्दुदत्त झा
14. छात्रावास समिति –
- i. डॉ. निक्की प्रियदर्शिनी

॥ इति शम् ॥

श्री उग्रतारा भारती मण्डन संस्कृत महाविद्यालय, महिषी, सहरसा